न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 114/2015

1 संजीव कस्वां आयु 41 वर्ष पुत्र श्रीचन्द कस्वां जाति जाट निवासी राजीव पथ गनी कॉलोनी कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुमेर सिंह तथाकथित दत्तक पुत्र बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी टोडी तहसील उदयुपरवाटी जिला झुंझुनू।
1/1 नैनी कंवर पत्नी सुमेर कस्वां।
1/2 भीमसिंह पुत्र सुमेर।
1/3 अर्जुन सिंह पुत्र सुमेर।
1/4 कृष्ण सिंह पुत्र सुमेर समस्त जाति राजपूत निवासीगण टोड़ी गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
1/5 चांद कंवर पत्नी भवानी सिंह पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी चऊ झोलड़ा जिला नागौर।
2 श्रीमती सकुरन पत्नी उमरदीन।
3 महबुब पुत्र उमरदीन समस्त जाति तेली निवासीगण टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 पृथ्वी सिंह पुत्र जीवण।
5 रामचन्द्र सिंह पुत्र जीवण।
6 विरेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह।
7 सोनू कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह।
8 मंजू कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह समस्त जाति दरोगा निवासीगण हुकुमपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 खिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी सुमेर सिंह बनाम श्रीमती सकुरन वगैरह मुकदमा नम्बर 76/2014 अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट. 1955 निर्णय दिनांक 05.05.2015

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—26.08.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 76/2014 में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9 के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय दिनांक 05.05.2015 के द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की और से प्रस्तुत अपील धारा 96 व धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट जमीन हाल खसरा नम्बर 106 ग्राम टोडी का सहखातेदार है। अपीलांट की उक्त सहखातेदारी के तथ्य की जानकारी अदालत मातहत को रही है। इस बाबत निर्णय जैर बहस में अंकन भी है। अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अदालत मातहत ने जमीन खसरा नम्बर 106 में से रास्ता कायम कर तथ्य व विधि की भूल की है। कानून से किसी खातेदार की जमीन में से उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना रास्ता कायम नही किया जा सकता। जमीन खसरा नम्बर 106 के अन्य सहखातेदार विजेन्द्र सिंह को भी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जमीन खसरा नम्बर 105 व 106 की सीमा पर रास्ता क्लेम किया और यह प्लीडिंग रही कि उसके तथाकथित रास्ते में आधी जमीन खसरा नम्बर 105 की व आधी जमीन खसरा नम्बर 106 की है। अदालत मातहत ने रास्ता अपीलांट की सहखातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 106 में बिना किसी आधार के कायम कर तथ्य व विधि की भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 97 में जाने के लिये वैकल्पिक रास्ते विद्यमान है। इस बाबत रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 ने जवाब देही कर तथ्य स्पष्ट किये थे। रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 ने अदालत मातहत के समक्ष जवाब देही दिनांक 30.03.2015 को कर वैकल्पिक रास्ता बनाया। अदालत मातहत ने भू–अभिलेख निरीक्षक गुढ़ागौड़जी की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2014 के आधार पर निर्णय पारित किया है। भू–अभिलेख निरीक्षक की तथाकथित रिपोर्ट दिनांक 16.06.2014 साक्ष्य में ग्राहय नही है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाई गई थी जबकि तहसीलदार की कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नही हुई तथा तहसीलदार को मौका रिपोर्ट के लिये अपने पावर अपने मातहत को देने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का हक भी नही था। अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की है। धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधानों को नजरअंदाज किया गया है। निर्णय जैर बहस से अपीलांट प्रभावित है। जमीन खसरा नम्बर 106 का अपीलांट सहखातेदार है। अपीलांट की सहखातेदारी की जमीन में से रास्ता कायम किया गया है और अपीलांट को प्रकरण में बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित हुआ है। इस प्रकार अपीलांट को प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने का हक है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट खसरा नम्बर 106 ग्राम टोडी का सहखातेदार है विचारण न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना, अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार के स्थान पर आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जाती है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर